



**सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी), एसआईईएम एवं सुरक्षा उपकरण कार्यान्वयन की
स्थापना हेतु प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)**

September 15, 2020

आरएफपी संदर्भ सं.: NHB (ND)/CISO/OUT05588/2020

सीआईएसओ कार्यालय, प्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5-ए, तीसरी मंजिल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110 003

फोन: 011-2464 9031-35

ई-मेल: sourav.seal@nhb.org.in; manoj.kumar@nhb.org.in

शब्दावली

संक्षिप्ताक्षर	विवरण
रा.आ.बैंक	राष्ट्रीय आवास बैंक
मुख्यालय	मुख्यालय, दिल्ली
आरआरओ	क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालय
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र यूनिट
पीएसबी	सार्वजनिक क्षेत्र बैंक / राष्ट्रीयकृत बैंक (कुल20)
ईएमडी	बयाना जमा राशि
पीबीजी	कार्य निष्पादन बैंक गारंटी
एएमसी	वार्षिक अनुरक्षण लागत
बीसीपी	व्यवसाय निरंतरता कार्यक्रम
डीआर	डाटा रिकवरी
डीसी	डाटा केंद्र

गोपनीय

Page

एसआईईएम	सुरक्षा सूचना एवं घटना प्रबंधन
एसओसी	सुरक्षा परिचालन केंद्र
एनसीआईआईपीसी	राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना एवं संरक्षण केंद्र
आईडीआरबीटी	बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास एवं अनुसंधान संस्थान
एफवाई	वित्तीय वर्ष (किसी भी वर्ष के 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक)

व्याख्या:

- “आरएफपी, निविदा, बोली” का उपयोग परस्पर विनिमय हेतु किया गया है एवं इस आरएफपी दस्तावेज के उद्देश्य से उक्त को एक ही माना जाएगा।
- इस आरएफपी के संबंध में जारी किए जा सकने वाले सभी स्पष्टीकरण, संशोधन, परिवर्तन, पूरक आरएफपी आरएफपी के भाग एवं पार्सल के रूप में माने जाएंगे और जिससे आरएफपी दस्तावेज तैयार होगा।
- संख्याओं एवं शब्दों के बीच किसी भी बेजोड़ता या प्रतिकूलता के मामले में, शब्द संख्याओं पर प्रबल होंगे।

1. महत्वपूर्ण बोली विवरण

1.	बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों की बिक्री/डाउनलोड प्रारंभ करने की तिथि	15.09.2020
2.	बोलीदाताओं के साथ पूर्व बोली बैठक (तिथि एवं समय)	1500 Hrs 25.09.2020
3.	बोली दस्तावेजों के डाउनलोड/बिक्री की अंतिम तिथि और समय	1800 Hrs 08.10.2020
4.	बोली दस्तावेजों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय	1800 Hrs 08.10.2020
5.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय	1500 Hrs 09.10.2020
6.	आरएफपी की लागत (अप्रतिदेय)	Rs.10,000/-
7.	बयाना जमा राशि	Rs.1,00,000/-

8.	बोलियों को खोलने का स्थान	राष्ट्रीय आवास बैंक, मुख्यालय कोर 5-ए, तीसरा तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003
----	---------------------------	--

नोट: -

- तकनीकी बोलियों को उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा जो उपरोक्त में भाग लेना चाहेंगे। उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। किसी भी परिवर्तन की सूचना केवल नामित संपर्क कर्मियों से ई-मेल के माध्यम से या रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करने पर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, कृपया ध्यान दें कि वाणिज्यिक बोली खोलने की तिथि, समय और स्थान बाद की तारीख में तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को सूचित की जाएगी।
- इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी साक्ष्य/कंपनी के माध्यम से प्रस्तुत सभी डाटा/सूचना को रिपोर्ट किया जाए एवं इस आरएफपी के प्रकाशन की तारीख को माना जाएगा।

2. राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) भारत सरकार के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना संसद अधिनियम के तहत की गयी।

गोपनीय

Page

क.राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु की गई है:

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना
- अधिनियम के अंतर्गत व्युत्पन्न विनियामक और पर्यवेक्षी प्राधिकरण के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को विनियमित करना।
- आवास निर्माण हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि और निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्ति कर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।

ख.आ.बैंक का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में है। इसके प्रतिनिधि कार्यालय हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता और अहमदाबाद में है।

3. प्रयोजन:

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का सन्दर्भ लें।

4. उद्देश्य

इस परियोजना का उद्देश्य सीएसआईटीईए, आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और परामर्श का पालन करना है और साइबर सुरक्षा खतरों के खिलाफ निषेध / विरोध के लिए बैंक में एक मजबूत साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र (सी-एसओसी) को लागू करना है। खतरे के परिदृश्य में अनुप्रयोगों, सर्वर, नेटवर्क उपकरण और अन्य प्रौद्योगिकियां शामिल होंगी जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का समर्थन करती हैं।

5. कार्य-क्षेत्र

यह भाग इस आरएफपी हेतु कार्य-क्षेत्र प्रदान करता है। चयनित बोलीदाता एकीकृत, परिचालन करने तथा 24 * 7 बैंक की एसओसी की निगरानी करने के

लिए जिम्मेदार होगा, जो उपकरणों के सेट के साथ तैयार होता है जैसे कि सुरक्षा सूचना एवं घटना प्रबंधन (एसआईईएम), थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (टीआईपी), और अन्य सभी उपकरण जो बोलीदाता की साइट पर स्कोप और सेवा स्तरों का पालन करने हेतु अपेक्षित हो। प्रस्ताव किये गये एसआईईएम सौल्यूशन को 35% बफर क्षमता के साथ समकक्ष प्रवाह रिकॉर्ड प्रति सेकंड और / या सतत 5000 ईपीएस (घटनाएँ प्रति सेकंड) का समर्थन करना चाहिए। बोलीदाता 8000 ईपीएस और / या समकक्ष प्रवाह रिकॉर्ड प्रति सेकंड के लिए एक स्केलेबिलिटी रोडमैप प्रदान करता है।

कृपया अँग्रेजी आरएफपी का सन्दर्भ लें।

6. बोलीदाताओं के लिए निर्देश

6.1 सामान्य:-

बोलीदाता से बोली दस्तावेजों में सभी निर्देशों, रूपों, शर्तों और विशिष्टताओं की जांच करने की अपेक्षा की जाती है। बोली / निविदा / आरएफपी दस्तावेजों के लिए आवश्यक सभी सूचनाओं को प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप इसकी बोली खारिज हो सकती है और यह बोलीदाता के स्वयं के जोखिम पर होगी।

- बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के अलावा, संविदात्मक करार के निष्पादन तक बोलीदाताओं एवं रा.आ.बैंक में से किसी के भी बीच कोई बाध्यकारी कानूनी संबंध नहीं होंगे। बोलियों के मूल्यांकन एवं उनको अंतिम रूप देने के एवं सफल बोलीदाता की पहचान के पश्चात सत्यनिष्ठा समझौता सफल बोलीदाता द्वारा निश्चित समझौता के भाग हेतु होगा। अन्य बोलीदाताओं के लिए, संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्रस्तुत बोली के संबंध में कथोक्त संविदा पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के उल्लंघन में बोलीदाता द्वारा किए गए किसी कार्य/चूक हेतु उन पर बाध्य होगा।
- विकास, तैयारी, और प्रतिक्रियाओं को प्रस्तुत करने से जुड़े किसी भी तरह से बोलीदाताओं द्वारा किए गए सभी लागत और व्यय, लेकिन सीमित नहीं; बैठकों, चर्चाओं, प्रदर्शनों आदि में उपस्थिति और रा.आ.बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अतिरिक्त जानकारी प्रदान करना, पूरी तरह से और विशेष रूप से बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।।
- प्रत्येक बोलीदाता मानेगा एवं स्वीकार करेगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर पात्र सलाहकार (रों) छांटने/चयन करने में प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट चयन मानदंड अपना सकता है।

- प्रत्येक बोलीदाता को इस आरएफपी के जवाब में अपनी बोली जमा करके, इस आरएफपी की शर्तों और अस्वीकरण को स्वीकार करने वाला माना जाएगा।
- बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें:

सौरव सील उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय आवास बैंक, प्रधान कार्यालय कोर 5-ए, चौथी मंजिल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 फोन नंबर: 011-39187104 ईमेल: sourav.seal@nhb.org.in	मनोज कुमार उप प्रबंधक, राष्ट्रीय आवास बैंक, प्रधान कार्यालय कोर 5-ए, चौथी मंजिल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 फोन नंबर: 011-39187204 ईमेल: manoj.kumar@nhb.org.in
---	--

- राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी/निविदा बंद होने के पश्चात अपने पूर्ण विवेक पर किसी भी बोलीदाता/बोलीदाताओं से अतिरिक्त सूचना या सामग्री की मांग कर सकता है एवं बोलीदाता के प्रत्युत्तर के तौर

पर ऐसी सभी सूचना एवं सामग्री उपलब्ध कराई जानी अत्यंत आवश्यक होगी।

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरएफपी हेतु प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किया जाए, बोलीदाताओं को अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, फैक्स, ई-मेल एवं पूरे पते का विवरण देना चाहिए।
- यदि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर यह समझे कि प्रश्न का प्रवर्तक प्रश्न के प्रत्युत्तर से लाभ हासिल करेगा तो राष्ट्रीय आवास बैंक के पास सभी बोलीदाताओं को ऐसे उत्तर बताने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- यदि कोई पूछताछ/स्पष्टीकरण हो तो उपर्युक्त संपर्क व्यक्ति/यों से सोमवार से शुक्रवार, सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर प्रातः 11:00 बजे से सायं 5:30 बजे तक बोलियों के प्रस्तुत करने की समय-सीमा के पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- बोलीदाता को भारत सरकार के किसी भी विभाग/पीएसयू/बैंकों/भारत में वित्तीय संस्थानों द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने से ब्लैक लिस्ट/वंचित न किया गया हो।

- रा.आ. बैंक अपनी आरएफपी के परिणाम के मुमकिन होते ही सभी शार्ट लिस्ट बोलीदाताओं को लिखित रूप में अथवा मेल के द्वारा या उसे अपनी वेबसाइट में प्रकाशित करके सूचित करेगा। रा.आ. बैंक ऐसी किसी भी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए कोई कारण देने के लिए बाध्य नहीं है।
- रा.आ.बैंक यदि उपयुक्त समझे तो अनुबंध सौंपने से पहले किसी भी समय पूरी निविदा प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है

6.2 बोली पूर्व बैठक

इस निविदा/आरएफपी से संबंधित मुद्दों पर बोलीदाताओं के संदेहों के स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ, रा.आ.बैंक आरएफपी में इंगित की गई तिथि व समय पर बोली पूर्व बैठक आयोजित करना चाहता है। सभी बोलीदाताओं के प्रश्न लिखित में ईमेल द्वारा या पोस्ट द्वारा इस आरएफपी के पृष्ठ 06 पर उल्लिखित पते/ईमेल पर पहुंच जाना चाहिए। यह भी ध्यान दें कि किसी भी बोलीदाता के पूर्व बोली बैठक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्नों पर स्पष्टीकरण बोली पूर्व बैठक में दिया जाएगा। बोलीदाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि को ही बोली पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुमति होगी।

6.3 निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति

निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति बैंक की वेबसाइट <http://www.nhb.org.in> पर उपलब्ध कराई जाएगी। बोलीदाताओं को खंड सं. 6.12(i) में यथा वर्णित रा.आ.बैंक में ईसीएस के माध्यम से 10,000/- रु. (दस हजार रुपये मात्र) की अप्रतिदेय शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित हैं। भुगतान का प्रमाण संलग्न किया जाना चाहिए और तकनीकी बोली को लिफाफे में रखा जाना चाहिए; ऐसा न किया जाने पर बोली को आगे के मूल्यांकन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

6.4 निविदा/आरएफपी की अहस्तांतरणीयता

यह निविदा/आरएफपी दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

6.5 विलोपन या परिवर्तन

विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। रा.आ.बैंक के विवेक पर तकनीकी बोलियों में किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरिलेखन को केवल विचार किया जाएगा, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित हो। हालाँकि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी तरीके से कोई अंतरालेखन, विलोपन या उपरिलेखन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। प्रस्ताव में हाथ से लिखित सामग्री, सुधार अथवा संशोधन

न हो। तकनीकी विवरण पूरी तरह भरा हो। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी जाये। “ठीक”, “स्वीकृत”, “विख्यात”, जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, रा.आ.बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत करेगा। रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरूपता या किसी भी मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ.बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

6.6 बोली/निवदा/आरएफपी दस्तावेजों में संशोधन

- बोलियों की प्रस्तुति की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय पर राष्ट्रीय आवास बैंक किसी कारण के लिए बोली दस्तावेजों में संशोधन करते हुए संशोधन कर सकता है।
- ऐसे संशोधनों को रा.आ.बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in पर दर्शाया जाएगा।
- सभी बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आरएफपी में सभी संशोधन/वृद्धि (यदि कोई हो) बोली प्रस्तुत करने से पूर्व उन्होंने उस पर विचार कर लिया है। किसी बोलीदाता द्वारा किसी प्रकार चूक के मामले में बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

- रा.आ.बैंक अपने विवेक पर बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।
- किसी भी प्रकार के संप्रेषण में कमी के लिए रा.आ.बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में आरएफपी को रद्द करने या निविदा प्रक्रिया को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

6.7 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखी जाएगी।

6.8 प्रच्छादित (मास्कड) वाणिज्यिक बोली

बोलीदाता तकनीकी बोली के साथ वास्तविक कीमतों को अलग से प्रच्छादित करते हुए राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत की जा रही वास्तविक कीमत की बोली राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार की प्रति प्रस्तुत करेगा। यह अनिवार्य है। वह बोली अयोग्य ठहराई जा सकती है यदि इसे यथोचित ढंग से प्रच्छादन करते हुए प्रस्तुत न किया गया हो। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास वाणिज्यिक मूल्यांकन के समय पर बोली/निविदा अस्वीकार

करने का अधिकार सुरक्षित है यदि 'प्रच्छादित वाणिज्यिक बोली'का प्रारूप/विवरण (मूल्य के सिवाय) प्रस्तुत की गई वास्तविक वाणिज्यिक बोली के प्रारूप/विवरण से न मिलता हो।

6.9 स्थान/मात्रा में संशोधन का अधिकार

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास निविदा में निर्धारित प्रस्तावित स्थल/स्थलों को संशोधित करने का अधिकार है। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास निविदा में निर्धारित सूची से एक या एक से अधिक स्थल/स्थलों को जोड़ने/हटाने का भी अधिकार सुरक्षित है।

6.10 बोली में शामिल किये जाने वाले

1. अनुलग्नक I में निर्धारित प्रारूप में बोलीदाता की जानकारी;
2. अनुलग्नक II में निर्धारित प्रारूप में बोलीदाता का अनुभव विवरण;
3. अनुलग्नक III में निर्धारित प्रारूप में अनुपालन विवरण घोषणा;
4. अनुलग्नक IV में निर्धारित प्रारूप में विचलनों की सूची, यदि कोई हो।
5. अनुलग्नक V में निर्धारित प्रारूप में न्यूनतम पात्रता की जानकारी;
6. तकनीकी प्रस्ताव: तकनीकी बोली को अनुलग्नक VI में यथा वर्णित प्रारूप में कवरिंग पत्र के साथ अनुलग्नक VII में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तकनीकी प्रस्तावों के साथ

तकनीकी अनुलग्नक I, II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

7. वाणिज्यिक प्रस्ताव: वाणिज्यिक बोली को अनुलग्नक VIII में यथा निर्धारित प्रारूप में कवरिंग पत्र के साथ अनुलग्नक IX में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
8. अनुलग्नक X में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में ईसीएस अधिदेश;
9. अनुलग्नक XI में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में योग्यता पत्र;
10. अनुलग्नक XII में यथा प्रारूप में मुख्य कार्मिक का बायोडेटा (सीवी);
11. अनुलग्नक XIII में प्रारूप में संकल्प मैट्रिक्स;
12. एक देश या देशों के बोलीदाताओं से भारत में रक्षा के आधार पर खरीद पर प्रतिबंध, या सीधे या परोक्ष रूप से संबंधित मामले, जिसमें अनुलग्नक XIV में राष्ट्रीय सुरक्षा शामिल है
13. अनुलग्नक XV में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता (जहां भी लागू हो) (संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए 100/- ₹. के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर सही तरीके से टंकित कर प्रस्तुत करना होगा और तत्पश्चात रा.आ.बैंक की ओर से भी हस्ताक्षर किया जाएगा। निष्पादन की तारीख बोलीदाता द्वारा तकनीकी बोली में उल्लिखित तारीख होनी चाहिए)
14. अनुलग्नक XVI में दिये गये प्रारूप अनुसार सेवा स्तरीय करार;

15. अनुलग्नक XVII में दिये गये प्रारूप अनुसार अप्रकटीकरण करार;

16. अनुलग्नक XVIII में दिये गये प्रारूप अनुसार कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी;

6.11 बोली मुद्रा

बोली केवल भारतीय रूपए में कोट की जाएगी।

6.12 बयाना जमा राशि (ईएमडी)

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

क्र.स.	प्रकार	लाभार्थी विवरण
1	नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक
2	पता	कोर ए 5, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र , लोधी रोड़
3	बैंक का नाम	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
4	बैंक की शाखा का पता	प्रगति विहार दिल्ली शाखा, भूतल, कोर-6, स्कोप कांपलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली- 110003
5	बैंक का प्रकार	चालू खाता
6	बैंक खाता सं.	52142903844

7	बैंक की शाखा का आईएफसी कोड	SBIN0020511
8	एमआईसीआर सं.	110004005

6. भुगतान का प्रमाण संलग्न होना चाहिए तथा न्यूनतम पात्रता मानदंड के साथ अलग लिफाफे में रखा जाना चाहिए; जिसकी अनुपस्थिति में बोली आगे मूल्यांकन के लिए विचार नहीं की जा सकती। बोलीदाता को ईसीएस अधिदेश प्रपत्र, जैसा अनुलग्नक - X में संलग्न है, प्रस्तुत करना आवश्यक है।

7. यथोचित प्रारूप तथा प्रणाली में ईएमडी के बिना प्राप्त कोई बोली अनुत्तरदायी और अस्वीकार की जाएगी।
8. ईएमडी से छूट हेतु अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
9. जैसा यहां बताया गया है वैसा या फिर जैसा निर्धारित करार में बताया गया है, सभी असफल बोलीदाताओं की बयाना जमा राशि निविदा प्रक्रिया के पूरा होने पर लौटा दिया जाएगा।
10. ईएमडी सुरक्षा जब्त की जा सकती है:
 - यदि बोलीदाता बोली वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली आहरित कर लेता;

- संविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी समय यदि बोलीदाता कोई बयान देता है अथवा कोई प्रारूप संलग्न करता है जो झूठ/गलत पाया जाता है।
- सफल बोलीदाता के मामले में, यदि बोलदाता संविदा पर हस्ताक्षर करने में असफल हो जाता है; और
- संविदा-पूर्व प्रमाणिकता संधि के किसी भी उल्लंघन के मामले में।

6.13 कार्यान्वयन अनुसूची

1. पैनल में शामिल बोलीदाता को उनके द्वारा प्रस्तुत बोली के आधार पर कार्य आदेश प्राप्त होने पर,, कार्य आदेश की स्वीकृति के 15 दिनों के भीतर सेवाएं शुरू करने के लिए रा.आ.बैंक प्रधान कार्यालय में रिपोर्ट करना आवश्यक होगा।
2. बोलीदाता सेवाओं के वितरण हेतु जिम्मेदार होगा।

क्र.सं.	घटना	वितरण अनुसूची (कार्य आबंटन / कार्य आदेश की स्वीकृति की तिथि से)
1.	बैठक प्रारंभ करना	7 दिन
2.	सेवायें प्रारंभ करना	7-15 दिन

3. आरएफपी की शर्तों के अनुसार एसएलए के निष्पादन के बाद ही बिलिंग चक्र आरंभ होगा।

6.14 बोलियों की वैधता अवधि

1. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत मूल्य एवं अन्य शर्तें रा.आ.बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वाणिज्यिक वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने की तारीख से छह माह की स्वीकृति अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।
2. असाधारण परिस्थितियों में रा.आ.बैंक बोलीदाताओं से वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए सहमति की मांग कर सकता है। उसके लिए अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित में होगी। दी गई बोली की प्रतिभूति भी बढ़ा दी जाएगी।

6.15 बोली का प्रारूप तथा हस्ताक्षर

1. प्रत्येक बोली को दो भागों में प्रस्तुत किया जाएगा:
2. **भाग I:** न्यूनतम पात्रता मानदंड, तकनीकी बोली और प्रच्छादित (मास्कड) वाणिज्यिक बोली [बिना किसी मूल्य के बोलियां] शामिल हैं। उपरोक्त कंटेन्ट "तकनीकी प्रस्ताव" के रूप में उल्लिखित किए जाएंगे।
3. **भाग II :** "वाणिज्यिक प्रस्ताव" के रूप में उल्लिखित होने के बाद केवल वाणिज्यिक बोली कवर होंगी।

4. वास्तविक बोली पक्की स्याही से टाइप की हुई या लिखित में होनी चाहिए तथा संविदा के बोली लगाने के लिए बाध्य के विधिवत प्राधिकृत बोलीदाता अथवा एक व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षित होनी चाहिए। व्यक्ति अथवा व्यक्ति जो बोली हस्ताक्षर कर रहे हैं, असंशोधित मुद्रित साहित्य के अलावा बोली के सभी पृष्ठों पर संक्षिप्त हस्ताक्षर करेंगे।

6.16 बोलियों की मुहरबंदी एवं चिन्हांकन

1. नॉन-विंडो और सीलबंद लिफाफा जिसमें तकनीकी बोली सह प्रस्ताव हो, के ऊपर "राष्ट्रीय आवास बैंक में सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षकों को पैनल में शामिल करने हेतु प्रस्ताव" लिखा हो, है, " रा.आ.बैंक को नीचे दिए गए पते पर भेजें:

उप महाप्रबंधक,

लेखा विभाग,

राष्ट्रीय आवास बैंक

कोर 5-ए, चौथा तल, भारत पर्यावास केन्द्र

लोधी रोड नई दिल्ली – 110003

2. सभी लिफाफों पर बोलीदाता का नाम, पता, सम्पर्क नम्बर और ईमेल लिखा हो।

3. बोलीदाता तकनीकी प्रस्ताव वाले लिफाफे को अलग से मुहरबंद करेगा।

4. यह लिफाफा नॉन-विंडो होना चाहिए और यथा लागू इसके ऊपर “राष्ट्रीय आवास बैंक में सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षकों को पैनल में शामिल करने हेतु प्रस्ताव” अलग से लिखा हो।
5. यदि लिफाफे मुहरबंद और चिन्हित नहीं किया गए हो तो रा.आ.बैंक बोली के गुम होने या समय पूर्व खुल जाने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
6. ऐसी बोली जो ठीक प्रकार से मुहरबंद नहीं हुई उन पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसी बोली को अस्वीकृत कर दिया जाएगी।

6.17 बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख

1. बोलियां रा.आ.बैंक को निर्दिष्ट पते पर प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पहले, जिसे ऊपर दर्शाया गया है, प्राप्त हो जानी चाहिए।
2. बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट तिथि यदि बैंक के लिए अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस में निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जा सकती है।
3. रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, रा.आ. बैंक की वेबसाइट की सूचना के साथ बोली दस्तावेजों में संशोधन करके बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकती है, इस मामले में, रा.आ. बैंक और बोलीदाताओं के सभी अधिकार और कर्तव्यों को पहले निर्धारित समय सीमा के अधीन किया जाएगा, इसके बाद से समय सीमा के अधीन बढ़ाया जाएगा।

6.18 विलम्ब से प्राप्त बोलियां

रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद रा.आ.बैंक को प्राप्त कोई भी बोलियां रद्द कर दी जाएंगी और उन्हें बिना खोले बोलीदाता को लौटा दिया जाएगा।

6.19 रा.आ.बैंक द्वारा बोलियां खोला जाना

1. निर्धारित तारीख और समय पर, बोलियां रा.आ.बैंक समिति द्वारा बोलीदाता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जो उस निर्धारित तारीख को उपस्थित होंगे, खोली जाएंगी।
2. तकनीकी बोलियां को खोलने का स्थान :
राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5 ए, तीसरी - 5 वीं मंजिल, भारत पर्यावास केंद्र
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
3. रा.आ.बैंक बोलीदाता का नाम और अपेक्षित ईएमडी की उपस्थिति या अनुपस्थिति, आरएफपी की लागत तथा इस तरह के अन्य विवरण, यदि उचित समझे तो तकनीकी बोली खोलते समय घोषणा करेगा।

6.20 बोलियों का स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के समय, रा.आ.बैंक स्व विवेकानुसार, बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और उसका उत्तर लिखित (ई-मेल) होगा और बोली की विषय वस्तु में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.21 प्रारम्भिक जांच

1. रा.आ.बैंक यह निर्धारित करने के लिये बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात/दस्तावेज संलग्न किये गये हैं और बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं आदि।
2. रा.आ.बैंक स्व एकमात्र विवेकानुसार, मामूली गलतियों, अननुपालन या अनियमितता को अनदेखा कर देगा जिनसे बिड की विषय वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु इस प्रकार से अनदेखी करने का किसी बोलीदाता की रैंकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
3. बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के बारे में रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

6.22 प्रस्ताव का स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और सहायक दस्तावेज तब तक रा.आ.बैंक की सम्पत्ति होंगे जब तक कि रा.आ.बैंक बोलीदाता का वह अनुरोध लिखित में

स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा दस्तावेज लौटा दिये जाएंगे या नष्ट कर दिये जाएंगे।

6.23 बोलीदाताओं को निर्देश

बोलीदाता रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित सहमति को छोड़कर रा.आ.बैंक द्वारा सौंपे गए कार्य को किसी तृतीय पक्ष को आउटसोर्स नहीं करेगा और रा.आ.बैंक द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतें अपने स्वयं की सेवा/समर्थन अवसंरचना के द्वारा ही निपटाएगा।

6.24 मूल्य संरचना और घट-बढ़

1. बोलीदाता को **अनुलग्नक IX** में उपलब्ध संरचना के अनुसार सख्ती से लागत मैट्रिक्स सप्पट तौर पर प्रस्तुत करना होगा। किसी प्रकार की अवहेलना होने पर बोली निरस्त कर दी जाएगी। वाणिज्यिक बोली के अलावा कोई अन्य विकल्प कोट नहीं किया जाना चाहिए। जहां कहीं भी विकल्प होंगे तो बोली निरस्त की जा सकती है।
2. वाणिज्यिक प्रस्ताव निश्चित मूल्य के आधार पर होगा। अनुबंध की अवधि के दौरान सौंपे गए किसी भी कार्य के लिए कर (वर्तमान एवं भविष्य) को छोड़कर सलाहकार की लागत से संबंधित किसी भी मूल्य में भिन्नता पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. केवल सांविधिक प्रावधान के अनुसार वास्तविक रूप में जीएसटी का भुगतान किया जाएगा
4. परियोजना के कार्यान्वयन की तिथि लेटर ऑफ अवॉर्ड (प्रारंभिक तिथि) या ऐसी अन्य तिथि होगी जो रा.आ.बैंक द्वारा तय की जा सकती है। उक्त तिथि पर सहायता सेवाएं, यदि लागू हैं, के नवीकरण हेतु विचार किया जाएगा।

6.25 सहायक सेवाओं की समय पर उपलब्धता

सलाहकार के पास नई दिल्ली में उचित और पर्याप्त सहायक तंत्र उपलब्ध होना चाहिए ताकि वह इस परियोजना के तहत सभी अपेक्षित सहायता उपलब्ध कर सके।

6.26 मैनुअल/डॉइंग

सलाहकार संविदा की अवधि के दौरान उपलब्ध कराई गई सेवाएं के लिए संपूर्ण तकनीकी एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराएगा। सभी मैनुअल अंग्रेजी में होने चाहिए और उपलब्ध कराई गई सेवाएं सफ़ट तौर पर उल्लिखित होनी चाहिए।

6.27 संशोधन एवं वापसी

1. प्रत्येक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि कोई भी बोलीदाता एक से अधिक प्रस्तावों को प्रस्तुत करता है, तो ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
2. बोलीदाता को सूचित किया जाता है कि बोली पूर्व बैठक के बाद ही बोलियाँ प्रस्तुत करें क्योंकि एक बार प्रस्तुत की गई बोली को अंतिम माना जाएगा और इस पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम समय-सीमा के बाद किसी भी बोली को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता होता है तो किसी भी बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार है। किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों की गैर-प्राप्ति/गैर-वितरण के लिए रा.आ.बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

6.28 कीमतों का प्रकटीकरण

वाणिज्यिक बोली के अलावा तकनीकी या बोली के अन्य भाग में किसी भी रूप में या कारण से कीमतों का उद्घाटन नहीं किया जाएगा। ऐसा करने में विफल रहने पर बोली निरस्त होने के लिए पात्र होगा।

6.29 बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली के लिए अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती हैं तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है अनुलग्नक- IV के अनुसार विचलन को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने के लिए, इस आरएफपी पर लागू अनुबंध के नियम और शर्तें उनके लिए स्वीकार्य नहीं हैं। बोलीदाताओं को यह भी स्पष्ट रूप से वर्णन करना होगा कि वस्तुओं और सेवाओं को किस रूप में और किस सीमा तक विनिर्देशों और आवश्यकताओं में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार अलग से प्रस्तावित किया जा रहा है।

6.30 स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता ऐसी स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो संविदा के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

6.31 रा.आ.बैंक से संपर्क करना या बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके सलाहकारों से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के

निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

6.32 प्रस्ताव की सामग्री

बोलीदाताओं के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रक्रिया का मुख्य विषय है। इसीलिए यह आवश्यक है कि बोलीदाता ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। बोलीदाता के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में बोलीदाता की क्षमता एवं इस परियोजना में बोलीदाता की रूचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

6.33 प्रतिबंधित या सूची से निकाले गए बोलीदाता

बोलीदाता को एक घोषणा देनी पड़ती है कि उन्हें किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या उनके सहायकों द्वारा प्रतिबंधित या सूची से निकाला नहीं गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकारी, अर्ध सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या उनके सहायकों द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है तो इस तथ्य को स्पष्ट करना होगा। यदि यह घोषणा नहीं की जाती है, तो बोली को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा। यह घोषणा तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

6.34 कानूनों का अनुपालन

1. सलाहकार (बोलीदाता) को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएं के बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं रा.आ.बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए रा.आ.बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड़, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।
2. सलाहकार (बोलीदाता) ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि प्राप्त तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना/संविदा की अवधि के दौरान उसे वैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व

इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए रा.आ.बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड़, बचाव, रक्षा करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा और रा.आ.बैंक सलाहकार को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।

3. यदि रा.आ.बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह अनुबंध नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस अनुबंध के तहत सलाहकार के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6.35 बौद्धिक संपदा अधिकार:

बोलीदाता वारंट देता है कि सी-एसओसी कार्यान्वयन फर्म के रूप में इसके चयन की स्थिति निम्नलिखित हैं:

1. इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले इनपुट, किसी भी प्रकृति के कॉपीराइट, पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित किसी भी तृतीय पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा।

2. यह आगे की गारंटी देता है कि वितरित किसी भी तीसरे पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों, कॉपीराइट, पेटेंट और किसी भी प्रकृति के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित, का उल्लंघन नहीं करेगा।
3. ऐसी स्थिति में जब प्रदेय तृतीय पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन या उल्लंघन के दावे का विषय बनते हैं, बोलीदाता अपनी इच्छा और व्यय पर: (क) ऐसे प्रदेय का उपयोग जारी रखने हेतु रा.आ.बैंक के लिए खरीद का अधिकार; (ख) ऐसे प्रदेय को बदलने या संशोधित करने के लिए उन्हें गैर- उल्लंघनकारी बनाकर प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि समान कार्य प्रतिस्थापन या संशोधित प्रदेय द्वारा उल्लंघनकारी प्रदेय के रूप में किया जाता है; अथवा (ग) यदि उपयोग करने का अधिकार खरीद नहीं हो सकता या प्रदेय को प्रतिस्थापित या संशोधित नहीं किया जा सकता तो प्रदेय की विवरणी को स्वीकार कर सकते हैं और ऐसे प्रदेय के लिए बोलीदाता को दी गई किसी भी राशि के लिए साथ ही रा.आ. बैंक द्वारा लगाए गए दंड के अतिरिक्त समान उपकरणों की खरीद के लिए रा.आ. बैंक द्वारा किए गए प्रतिस्थापन लागत रा.आ. बैंक को प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। तथापि, इस संबंध में रा.आ. बैंक किसी भी तरह के व्यय, प्रभार, शुल्क या किसी प्रकार की लागतों को नहीं उठाएगा। मौजूदा उपायों के बावजूद, बोलीदाता प्रस्तावित समाधान का उपयोग करने के लिए रा.आ. बैंक की असमर्थता के कारण यदि सेवा स्तर की पूर्ति नहीं होती है तो दंड के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा।

4. इस खंड में बताए गए क्षतिपूर्ति दायित्वों को केवल उस स्थिति में लागू किया जाता है, जिसमें क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष इस तरह के दावों की क्षतिपूर्ति करने वाली पार्टी को लिखित सूचना प्रदान करता है; इस तरह के दावों की रक्षा, प्रबंधन, बातचीत या निपटान करने के लिए केवल क्षतिपूर्ति करने वाली पार्टी को अधिकार देता है; और दावों का बचाव करने (क्षतिपूर्ति पार्टी की कीमत पर) में सभी उचित सहायता उपलब्ध कराता है। पूर्वगामी के बावजूद, किसी भी पार्टी को किसी भी समझौते या समझौते के लिए सहमत होने के लिए अधिकृत नहीं किया जाता है या जिस तरह की आवश्यकता होती है कि क्षतिपूर्ति पार्टी कोई भुगतान करती है या किसी अन्य ठोस दायित्व को पार्टी पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के बिना सहन करती है।
5. बोलीदाता स्वीकार करता है कि व्यापार तर्क, कार्य प्रवाह, प्रतिनिधिमंडल और रा.आ. बैंक के निर्णय लेने की प्रक्रिया और समर्पण संवेदनशील व्यापार प्रकृति के हैं और इसलिए इसे अन्य ग्राहकों, एजेंट या सॉफ्टवेयर के वितरकों को नहीं भेजा जाएगा। यदि परियोजना के क्षेत्र में वर्णित परियोजना के वांछित उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जाता है और यदि ईओआई में उल्लिखित की गई विभिन्न आवश्यकताओं के आधार पर प्रणाली प्रक्रियाओं को सुधारने में असमर्थ है, तो इस परियोजना को अपूर्ण माना जाएगा।

6.36 झूठा/अधूरा विवरण

गोपनीय

Page

बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदिनिविदा के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गर्थी उसकी निविदा की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती हैतो उसका/उनकी निविदा(यें)/अनुबंध (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे:

1. यदि ऐसा विवरण निविदा के चरण में पाया जाता है तो उसकी कुल बयाना राशि/ईएमडी जब्त कर दी जाएगी एवं निविदा/बोली को सरसरी तौर पर ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।
2. यदि ऐसा विवरण अनुबंध के चरण में पाया जाता है तो रा.आ.बैंक अपने विवेक पर पीबीजी के आमंत्रण समेत संविदा की समाप्ति हेतु आरएफपी में दी गई उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है।

6.37 कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

6.38 भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंध:

- भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से कोई भी बोलीदाता

गोपनीय

इस निविदा में बोली लगाने हेतु तभी पात्र होगा, जब बोलीदाता सक्षम प्राधिकारी यानी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी)) द्वारा गठित पंजीकरण समिति के साथ पंजीकृत हो।

यद्यपि, यदि बोलीदाता उसी देश से हैं)यदि भारत के साथ भूमि सीमा साझा कर रहे हों जिस (देश में भारत सरकार ने ऋण व्यवस्था लागू की हैं या जिसमें भारत सरकार विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए ऐसे देशों की अद्यतन सूची के अनुसार परियोजनाओं के विकास में कार्य कर रही है, तो इस प्रकार का पंजीकरण इस आरएफपी के अंतर्गत पात्र होने हेतु अपेक्षित नहीं है।

- बोलीदाता को अनुलग्नक XVIII में संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यदि सफल बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र नकली पाया जाता है तो यह निविदा के निरस्तीकरण का आधार बनेगा तथा कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
- इस खंड के प्रयोजन हेतु:
 - a. बोलीदाता कुछ संदर्भों में) "'निविदा', 'सलाहकार' अथवा 'सेवा प्रदाता' शब्द सहितसे तात्पर्य है (, कोई भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी, जिसमें सहायता संघ या संयुक्त उद्यम जो कई व्यक्तियों या फर्मों या) कंपनियों का संघ है), प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो एतदपूर्व

उल्लिखित बोलीदाताओं के किसी भी विवरण में नहीं आता, जिसमें किसी भी एजेंसी शाखा या कार्यालय को ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो खरीद प्रक्रिया में भाग लेता है, शामिल है।

b. इस आदेश के उद्देश्य हेतु भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने "

"वाले देश से बोलीदाता का अर्थ- :

- (i) देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत संस्था; या
- (ii) देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत सहायक कंपनी या संस्था; या
- (iii) देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से वास्तव में नियंत्रित की गयी संस्था; या
- (iv) संस्था जिसका लाभकारी मालिक देश में स्थित है; या
- (v) संस्था का भारतीय एजेंट (या अन्य); या
- (vi) साधारण व्यक्ति जो देश का नागरिक है; या
- (vii) सहायता संघ या संयुक्त उद्यम जहां सहायता संघ या संयुक्त उद्यम का कोई भी सदस्य उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत आता है।

c. उपर्युक्त) ii) के प्रयोजन हेतु लाभकारी मालिक निम्नानुसार होगा।

- i. कंपनी या सीमित देयता भागीदारी के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक

न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, स्वामित्व हित को नियंत्रित रखता है या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण रखता है।

"स्वामित्व हित को नियंत्रित करनाका अर्थ है ", कंपनी के शेयरों या पूंजी या लाभ के पच्चीस प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;

नियंत्रणमें निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने या उनके शेयरहोल्डिंग " या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों केकरार या वोटिंग करार सहित के आधार पर प्रबंधन या नीतिगत निर्णय को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा;

- ii. साझेदारी फर्म के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, उसके पास साझेदारी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक पूंजी या लाभ की हकदारी का स्वामित्व है;
- iii. अनिगमित संघ या वैयक्तिकों के निकाय के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, जिसके पास संघ या वैयक्तिकों के निकाय की संपत्ति या पूंजी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी

- iv. जहां किसी भी साधारण व्यक्ति की पहचान उपर्युक्त)i) या)ii) या)iii) में नहीं की गयी है, लाभकारी मालिक प्रासंगिक साधारण व्यक्ति है जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद ग्रहण करता है;
- v. न्यास के मामले में, लाभकारी मालिक की पहचान में न्यास के प्रणेता, न्यासी, न्यास में पंद्रह प्रतिशत या इससे अधिक ब्याज के साथ लाभार्थी और कोई भी अन्य साधारण व्यक्ति जो नियंत्रण स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से न्यास पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण का उपयोग करता है, शामिल होगी।

एजेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी दूसरे के लिए कोई भी कार्य करने या तीसरे व्यक्ति के साथ डील करने में दूसरे व्यक्ति की जगह नियोजित होता है।

7.बोलियां (तकनीकी एवं वाणिज्यिक) एवं बोली के मूल्यांकन की कार्यप्रणाली

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

8.वाणिज्यिक नियम एवं शर्तें

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:

www.nhb.org.in – What's New

गोपनीय

Page

**किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।*

XXXXXXXXXXXX